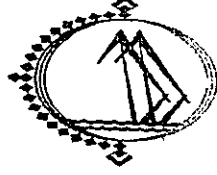


दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण



स्थापना अनुभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय भवन
गांधीधाम

सं. : जीए/पीएस/3508-1/1502

दिनांक : 17-09-2025

कार्यालय आदेश

श्री अबुताहिर सैय्यद, पर्यवेक्षक, यातायात विभाग को प्रभागीय लेखाकार के पद पर रु. 32500-83800 (पुनरीक्षित रु. 45800-121300) के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, तदर्थ आधार पर, छह महीने की अवधि अथवा श्रीमती विशाखा टाकोदरा, प्रभागीय लेखाकार के मातृत्व अवकाश से वापस कार्यभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, तक पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें वित्त विभाग में तैनात किया जाता है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि के दौरान उनका वेतन लागू वेतन नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3. उपरोक्त पैरा-1 में उल्लिखित तदर्थ पदोन्नति की अवधि पूरी होने पर वह स्वतः ही अपने मूल पद पर वापस आ जायेंगे।

4. वे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009, के अधीन रहेंगे।

5. उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।

(प्राधिकार: ई-फाईल सं.909 में टिप्पणी सं.149 पर दिनांक 11/09/2025 को सचिव महोदय के अनुमोदन से)

वरिष्ठ उप सचिव
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति:

श्री अबुताहिर सैय्यद,
पर्यवेक्षक, का.सं.6704,
यातायात विभाग

(यातायात प्रबंधक के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

- (1) यातायात प्रबंधक /वि.स.एवं मु.ले.अ. - सूचना एवं इयूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु
- (2) लेखा अधिकारी (देय), गांधीधाम
- (3) टीम लीडर (आईटी) - पत्तन की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
- (4) सा.प्र.विभाग - संबंधित लिपिक/डीपीसी फाईल/मास्टर फाईल/एचसीएम प्रकोष्ठ
- (5) उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ